## खोया / नष्ट होना / चुराया नोटिस की अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देश (3 अंको में)

**भारत के राजपत्र भाग-IV में नाम सुधार / लिंग परिवर्तन / व्यस्क के गोद लेने को रद्द करने, पुर्नविवाह करने पर बच्चों तथा पिता के नाम परिवर्तन इत्यादि के संदर्भ में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के लिए सूचना**

**भारत के राजपत्र भाग-IV में सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों अपेक्षित है –**

**(i)** आवेदक द्वारा विधिवत स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र

**(ii)** समाचार पत्र की मूल प्रति

**(iii)** आवेदक के विधिवत हस्ताक्षर करके तथा निर्धारित स्थान पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त विधिवत टाइप किया गये निर्धारित प्रोफार्मो की दो प्रतियॉ ।

**(iv)** एम एस वर्ड में बिना साक्षी भाग की मुद्रित सामाग्री समाविष्ट सी. डी.

**(v)** स्व सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकापी (स्व सत्यापित)

**(vi)** आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी की विषय सूची समान है ।

**(vii)** अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ।

जो व्यक्ति भारत के राजपत्र भाग-**IV** में खोया/नष्ट होना/चुराना नोटिस का विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता/चाहती है, उसे इस प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन करना होना –

1. विज्ञापन की सामग्री किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवायें जिसमें मामलें का पूरा विवरण दिया है ।
2. कृपया संलग्न नमूने में निर्धारित अनुसार सभी तरह से पूर्ण मुद्रण सामग्री को अलग से सादे कागज पर टाईप कराकर तथा उस पर अपने नाम के हस्ताक्षर करके तथा दो साक्षियों से हस्ताक्षर कराकर दो प्रतियों में साफ्ट प्रति (एम एस वर्ड में सी डी) के साथ जमा करायें । प्रपत्र कम्प्यूटर से टाईप होना चाहिए ।
3. आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित 02 पासपोर्ट आकार की फोटो तथा आई डी प्रूफ की फोटोप्रति इन दोनों को स्वंसत्यापित करके जमा करायें ।
4. खोया/नष्ट होना/चुराया नोटिस के प्रकाशन के लिए मुद्रण शुल्क 1500/- रूपये (एक अंक के लिए)/(क्रमिक तीनों अंकों के लिए 4300/-रू.) (31-3-2015 तक) है । यह धनराशि नकद (यदि आवेदक स्वयं विभाग में आता है) अथवा प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के जरिये अग्रिम भेजी जाए ।

आवेदक को संबंधित राजपत्र की एक प्रति भेजी जाऐगी 1 अतिरिक्त प्रतियों की यदि आवश्यकता है तो 50/- रूपये (प्रत्येक प्रति) की दर से (31-32015 तक) अथवा प्रचिलत दरों पर आपूर्ति की जा सकती है । पूर्वोक्त दस्तावेजों सहित धनराशि नकद भी जमा इस विभाग में जमा करायी जा सकती है ।

5. मुद्रण प्रभारों सहित पूर्वोक्त सभी काग़जात प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को संबोधित अग्रेषण पत्र के साथ इस विभाग को डाक द्वारा अथवा स्वयं भी आकर स्वंसत्यापित फोटो आई डी प्रूफ के साथ जमा किए जा सकते हैं । काग़जात एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

6. विभाग में जमा किए गए कागजात मूल अथवा फोटो प्रति किसी भी स्थिति में वापिस नहीं की जाएगी ।
7. इस बारे मे मिलने का समय किसी भी कार्यदिवस को प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक है |
8. आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगी कि हार्ड प्रति तथा साफ्ट प्रति में निहित विषयवस्त एक समान है । साथ ही उसे शपथ भी लेनी होगी कि आवेदन किसी भी असंगति अथवा पारावहन हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।
9. सभी प्रकार से ठीक भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदन को संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा ।
10. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आई डी प्रूफ की स्वहस्ताक्षरित फोटो भेजे । स्वयं आकर जमा किए गए अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे । ऐजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे ।
11. संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।
12. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी / अस्पष्ट / गैरकानूनी / भ्रामक मुद्रण सामाग्री के अस्वीकार कर सकता है ।